रजिस्ट्री सं० डी०(डी०)-72

REGISTERED No. D(D.)—72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग—II खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART—II Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 462] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 6, 1979/कार्तिक 15, 1901

No. 462] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 6, 1979/KARTIKA 15, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 6 नवम्बर 1979

का०आ० 642 (अ) आई डी आर ए/29बी/79-1.—केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 29-ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऐसे प्रत्येक औद्योगिक उपक्रम को, जो पूर्णतः या भागतः ऊन से निम्नलिखित सभी या किसी किस्म के, अर्थात् वर्स्टेड, पुनराप्त ऊन या ऊनी (अर्थात् देशी ऊन पर आधारित) तन्तु के कातने में न तो लगा है और न लगने की प्रस्थापना है, और जिसकी कुल क्षमता 1200 स्पिण्डिल तक है उक्त अधिनियम की धारा 10, 11, 11-क और 13 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रवर्तन से, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, छूट देती है, अर्थात्:—

(1) औद्योगिक उपक्रम, या तो कम्पनी अधिनियम, 1956 1956 का 1) की धारा 617 में यथा परिभाषित सरकारी कम्पनी या ऊनी (अर्थात् देशी ऊन पर आधारित), वर्स्टेड या पुनराप्त ऊन तन्तु के कातने में लगी अथवा ऊनी हस्तग्रन्थित कालीन या ऊनी हथकरघा वस्त्र बुनने या ऊनी होजरी के विनिर्माण में लगी रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसाइटी के स्वामित्व में है ।

(2) विनिर्मित वस्तु भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की समय-समय पर यथा संशोधित, अधिसूचना सं० का० आ० 98 ई/आइ डी आर ए/29बी/73/1, तारीख 16 फरवरी, 1973 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तु नहीं है ।

(3) ऐसा औद्योगिक उपक्रम तथा एकाधिकार अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम 1969, (1969 का 54) या विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) की परिधि में नहीं आता है ।

(4) औद्योगिक उपक्रम निम्नलिखित स्थान पर न तो अवस्थित है और न अवस्थित होने की प्रस्थापना है :

(क) किसी ऐसे नगर की मानक नगरीय क्षेत्र सीमा के भीतर, जिसकी जनसंख्या 1971 की जनगणना के अनुसार यथा अभिनिश्चित दस लाख से अधिक है, या

(ख) किसी ऐसे नगर की नगरपालिक सीमाओं के भीतर, जिसकी जनसंख्या, 1971 की जनगणना के अनुसार यथा अभिनिश्चित पांच लाख से अधिक है ।

(5) औद्योगिक उपक्रम अपना रजिस्ट्रीकरण वस्त्र आयुक्त के यहां कराएगा और औद्योगिक उपक्रम रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन नियम, 1952 से उपाबद्ध प्ररूप 'छ' में उपक्रम द्वारा की गई प्रगति के बारे में एक विवरणी देगा तथा प्रत्येक मास वस्त्र आयुक्त को उत्पादन विवरणियां भी ऐसे प्ररूप में देगा जो उक्त नियमों के उपबन्धों के अधीन अधिसूचित किया जाए ।

2. यह अधिसूचना समय-समय पर यथा संशोधित, ऊपर निर्दिष्ट अधिसूचना सं० का० आ० 98ई/आई डी आर ए/29 बी/73/1, तारीख 16 फरवरी, 1973 के अतिरिक्त है न कि उसके अल्पीकरण में ।

[सं० 12/189/79-एल पी]

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 6th November, 1979

S.O. 642(E)/IDRA/29B/79-I.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29B of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby exempts every industrial undertaking engaged or proposed to be engaged in the spinning of all or any of the following kinds of yarn, namely, worsted; shoddy or woollen (i.e., based on indigenous wool) yarn, either wholly or partially from wool, having a total capacity upto 1200 spindles per undertaking, from the operation of sections 10, 11, 11A and 13 of the said Act and the rules made thereunder, subject to the following conditions, namely :—

(i) The industrial undertaking shall be owned either by a Government Company as defined in section 617 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or a registered cooperative society engaged in the spinning of woollen (i.e., based on indigenous wool), worsted or shoddy yarn or in the manufacture of woollen hand-knitted carpets or woollen handloom weaving or woollen hosiery.

(ii) The article of manufacture shall not be an article specified in Schedule I to the notification of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development) No. S.O. 98E/IDRA/29B/73/1, dated the 16th February, 1973, as amended from time to time.

(iii) Such industrial undertaking does not fall within the purview of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), or within the purview of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973, (46 of 1973).

(iv) The industrial undertaking is not located or proposed to be located—

(a) within the standard urban area limit of a city, having a population of more than one million as ascertained at the 1971 census ; or

(b) within the municipal limits of a city, having a population of more than five lakhs, as ascertained at the 1971 Census.

(v) The industrial undertaking shall register itself with the Textile Commissioner and shall furnish a return in Form G appended to the Registration and Licensing of Industrial Undertakings Rules, 1952, in respect of progress made by the undertaking and shall also submit production returns every month to the Textile Commissioner in such Form as may be notified under the provisions of the said Rules.

2. This notifiation is in addition to and not in derogation of the Notification No. S.O. 98E/IDRA/29B/73/1, dated the 16th February, 1973, referred to above, as amended from time to time.

[No. 12|189|79-LP]

का० आ० 643(अ) आई डी आर ए/29बी/79 2—केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 29ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऐसे प्रत्येक औद्योगिक उपक्रम को, जिस की कुल क्षमता प्रति उपक्रम 1200 स्पिंडिल से कम है और जो ऊन से पूर्णतः या भागतः वर्स्टेड या ऊनी तन्तु अथवा दोनों (पुनराप्त ऊन से भिन्न) के कातने में लगा है, उक्त अधिनियम की धारा 13 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रवर्तन से निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, छूट देती है, जिससे कि प्रति उपक्रम कुल क्षमता का विस्तार 1200 स्पिंडिल तक हो सके, अर्थात्:—

(1) विनिर्मित वस्तु, भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं० 98अ/आई डी आर ए/29ख/73/1, तारीख 16 फरवरी, 1973 की अनुसूची 1 में यथा विनिर्दिष्ट वस्तु नहीं है ।

(2) ऐसा औद्योगिक उपक्रम, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) या विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, 1973 (1973 का 46) की परिधि के अन्तर्गत नहीं आता है ।

(3) औद्योगिक उपक्रम निम्नलिखित स्थान पर अवस्थित न हो :—

(क) किसी ऐसे नगर की मानक नगरीय क्षेत्र सीमा के भीतर, जिसकी जनसंख्या 1971 की जनगणना के अनुसार यथा अभिनिश्चित दस लाख से अधिक है, या

(ख) किसी ऐसे नगर की नगरपालिक सीमाओं के भीतर, जिसकी जनसंख्या, 1971 की जनगणना के अनुसार यथा अभिनिश्चित पांच लाख से अधिक है ।

(4) औद्योगिक उपक्रम अपना रजिस्ट्रीकरण वस्त्र आयुक्त के यहां कराएगा और औद्योगिक उपक्रम रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन नियम, 1952 से उपाबद्ध प्ररूप 'छ' में उपक्रम द्वारा की गई प्रगति के बारे में एक विवरणी देगा तथा प्रत्येक मास वस्त्र आयुक्त को उत्पादन विवरणियां भी ऐसे प्ररूप में देगा जो उक्त नियमों के उपबन्धों के अधीन अधिसूचित किया जाए ।

2. यह अधिसूचना समय-समय पर यथा संशोधित ऊपर निर्दिष्ट अधिसूचना सं० का० आ० 98ई/आई डी आर ए/29 बी/73/1, तारीख 16 फरवरी, 1973 के अतिरिक्त है न कि उसके अल्पीकरण में ।

[सं० 12/189/79-एल पी]

बी राय, संयुक्त सचिव

S.O. 643(E)/IDRA/29B/79-II.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29B of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby exempts from the operation of section 13 of the said Act and the rules made thereunder, every industrial undertaking having a total capacity of less than 1200 spindles per undertaking and engaged in the spinning of worsted or woollen yarn or both (other than shoddy yarn), either wholly or partially from wool, so as to enable the expansion of its total capacity upto 1200 spindles per undertaking, subject to the following conditions, namely :—

(i) The article of manufacture shall not be an article specified in Schedule I to the notification of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development) No. 38E/IDRA/29B/73/1, dated the 16th February, 1973, as amended from time to time.

(ii) Such industrial undertaking does not fall within the purview of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), or within the purview of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (46 of 1973).

(iii) The industrial undertaking is not located—

(a) within the standard urban area limit of a city, having a population of more than one million as ascertained at the 1971 Census ; or

(b) within the municipal limits of a city, having a population of more than five lakhs, as ascertained at the 1971 Census.

(iv) The industrial undertaking shall register itself with the Textile Commissioner and shall furnish a return in Form G appended to the Registration and Licensing of Industrial Undertakings Rules, 1952, in respect of progress made by the undertaking and shall also submit production returns every month to the Textile Commissioner in such Form as may be notified under the provisions of the said Rules.

2. This notification is in addition to and not in derogation of notification No. S.O. 98E/IDRA/29B/73/1, dated the 16th February, 1973, referred to above, as amended from time to time.

[No. 12|189|79-LP]
B. ROY, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1979